

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास - श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 40/2020

दायर दिनांक :- 11.09.2020

अनवान

श्रीमति प्रर्मिला देवी पत्नि बाबूलाल मीणा नि. लाला का बाडा तह. जहाजपुर  
वादी.....

बनाम

1. श्रीमति धापू बेवा हरचन्दा उर्फ कालू मीणा नि. लाला का बाडा तह. जहाजपुर
2. श्री मोहन पिता भूरा मीणा नि. लाला का बाडा तह. जहाजपुर
3. श्री दुर्गेश पिता कालू मीणा नि. खजूरी तह. जहाजपुर
4. श्री कालू पिता श्रीकिशन मीणा नि. खजूरी तह. जहाजपुर
5. श्रीमति सीता पुत्री भूरा मीणा पत्नि भागचन्द मीणा नि. खजूरी तह. जहाजपुर
6. श्री नरेन्द्र कुमार पिता जगदीश मीणा नि. लाला का बाडा हाल देवली
7. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री छीतर लाल रेगर, वकील वादी


:: निर्णय ::

दिनांक 07.01.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई है कि ग्राम पांचा का बाडा प. ह. विन्ध्याभाटा तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 2595 रकबा 2.12 बीघा में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकार्ड के हक व हिस्से का मौके पर हो रखा कब्जानुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार जहाजपुर को आदेश दिया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जहाजपुर को लिखा गया।

तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 03.01.2022 को बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाया गया। जिसे शामिल फाईल किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव से वादी भी सहमत है। जिससे बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है की :-


  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (भीलवाडा)

ग्राम पांचा का बाडा प. ह. विन्ध्याभाटा तहसील जहाजपुर

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	धापू बेवा हरचन्दा उर्फ कालू 6/49 मोहन पिता भूरा 6/49 सोहनी, सीता पुत्रिया भूरा 17/49 सा. हनुमान का बाडा, नरेन्द्र कुमार पिता जगदीश चन्द्र 20/49 मीणा सा. जहाजपुर खातेदार	2595	2-09	बीड 1	0-74
2.	प्रमिला देवी पत्नि बाबूलाल मीणा सा. देह खातेदार	2595 मे से	0-03	बीड 1	0-04

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग-2 दर्ज किया जावे। पर्चा डिकी मुर्तिव किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( दामोदर सिंह )  
उपमुख्य अधिकारी,  
जहाजपुर (मीलवाडा)

# डिग्री व मुकदमें इबतदाई

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)  
ब ईजलास — श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

श्रीमति प्रमिला देवी पत्नि बाबूलाल मीणा नि. लाला का बाडा तह. जहाजपुर  
वादी.....

बनाम

1. श्रीमति धापू बेवा हरचन्दा उर्फ कालू मीणा नि. लाला का बाडा तह. जहाजपुर
2. श्री मोहन पिता भूरा मीणा नि. लाला का बाडा तह. जहाजपुर
3. श्री दुर्गेश पिता कालू मीणा नि. खजूरी तह. जहाजपुर
4. श्री कालू पिता श्रीकिशन मीणा नि. खजूरी तह. जहाजपुर
5. श्रीमति सीता पुत्री भूरा मीणा पत्नि भागचन्द मीणा नि. खजूरी तह. जहाजपुर
6. श्री नरेन्द्र कुमार पिता जगदीश मीणा नि. लाला का बाडा हाल देवली
7. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत — 53, 188 आर. टी. ए.

प्रकरण संख्या :- 40/2020

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरु उदायत व हाजरी श्री छीतर लाल रेगर का मिनजानिव मुदई व श्री .. का मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .


अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है कि :-  
ग्राम पांचा का बाडा प. ह. विन्ध्याभाटा तहसील जहाजपुर

क्र.स.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	धापू बेवा हरचन्दा उर्फ कालू 6/49 मोहन पिता भूरा 6/49 सोहनी, सीता पुत्रिया भूरा 17/49 सा. हनुमान का बाडा, नरेन्द्र कुमार पिता जगदीश चन्द्र 20/49 मीणा सा. जहाजपुर खातेदार	2595	2-09	बीड 1	0-74
2.	प्रमिला देवी पत्नि बाबूलाल मीणा सा. देह खातेदार	2595 मे से	0-03	बीड 1	0-04

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग-2 दर्ज किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.01.2022

मुहर

  
( दामोदर सिंह )  
उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर (भीलवाडा)